राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली)

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली) उत्तराखण्ड की सूचनाऐं प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क, छात्रवृत्ति, परीक्षाफल, उपलब्ध बजट, संचालित होने वाले सामान्य पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम, शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर क्रिया कलाप, अध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग सम्बन्धी सूचनायें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के मैनुअल 17 के अन्तर्गत उपलब्ध हैं।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोपेश्वर (चमोली)

शुल्क–विवरण

शासनादेश एवं निदेशालय के निर्देशों के अनुपालन में निम्नवत शुल्क देय होंगे जो वर्ष में एक ही बार प्रवेश के समय देय होगा।

कोषागार निधि :

कुल शुल्क	रु0 698.00

विश्वविद्यालय निधि :

1. नामांकन शुल्क	रु0 100.00 (समस्त नये प्रवेशार्थी)
2. परीक्षा शुल्क	रु0 600.00+10.00=610.00 (स्नातक)
	रु0 700.00+10.00=710.00 (स्नातकोत्तर)
3. पर्यावरण	रु0 100.00 (स्नातक द्वितीय वर्ष)
4. उपाधि शुल्क	रु0 100.00 (अंतिम वर्ष के विद्यार्थी)

महाविद्यालय निधि :

1. प्रतिभूति (नये विद्यार्थी)	रु0 100/150.00 (स्नातक प्रयोगात्मक विषय में)
	रु0 150/215.00 (स्नातकोत्तर प्रयोगात्मक विषय में)
2. अन्य	रु0 694.00

1–सत्र 2013–2014 हेतु यदि वि0वि0/शासन द्वारा शुल्क में कोई संशोधन होता है तो तद्नुसार संशोधित दर देय होगी।

प्रवेश नियम

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होंगे –

1) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये प्राचार्य समितियों का गठन करेंगे, जो कि अलग–अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धित कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। तत्संबंधी संकायों में प्रवेश के लिये उक्त समिति और प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा। प्रवेश समितियों द्वारा आवंटित विषयों में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। प्रवेश का दायित्व प्राचार्य का होगा।

2) **स्नातक विज्ञान** में प्रवेश के लिये **इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में 45%** अंक तथा **कला एवं वाणिज्य** के लिये स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये **इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में 40%** अंक आवश्यक हैं। **अनुसूचित जाति** एवं **अनुसूचित जनजाति** के अभ्यर्थियों के लिये **प्रवेश अर्हता में 5% अंको की छूट** देय होगी। परन्तु **उदाहरणार्थ 39.90% अथवा 44.90% अंकों को क्रमशः 40% अथवा 45% नहीं माना जायेगा।**
(प्रवेश हेतु यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश अर्हता के लिए अंकों तथा प्रतिशत में संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित नियम ही मान्य होगा।)

3) इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में अनुपूरक या कम्पार्टमेंट वाले छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के अयोग्य होंगे।

4) स्नातक, स्नातकोत्तर एवं वोकेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी नियमों में हे0नं0ब0केन्द्रीय वि0वि0 श्रीनगर द्वारा परिवर्तन किये जाने की दशा में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश देय होंगे।

प्रवेश हेतु महाविद्यालय प्रवेश नियमावली में विश्वविद्यालय एव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत प्रावधानों के तहत तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था दी गयी है।

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी.एससी. (प्रथम वर्ष) के लिये विषय चयन संबंधित नियम

बी.एससी. प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थी को निम्न संवर्गों में से वहीं संवर्ग देय होगा जिस संवर्ग से उसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात् गणित संवर्ग (भौतिक, रसायन, गणित) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को गणित संवर्ग के विषय अनुवर्ग और जन्तुविज्ञान संवर्ग (वनस्पति, रसायन, जन्तुविज्ञान) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को जन्तुविज्ञान संवर्ग के विषय अनुवर्ग ही देय होंगे।

बी.एस–सी. पूर्वार्द्ध के छात्रों को निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग का चयन करना है।

क्र0	**वर्ग**		**उपलब्ध स्थान**
1.	रसायन, वनस्पति, जन्तु विज्ञान	–	60
2.	रसायन, भौतिकी, गणित	–	60
3.	भू–विज्ञान, वनस्पति, जन्तु विज्ञान	–	60
4.	भू–विज्ञान, भौतिकी, गणित	–	60

नोट – भौतिकी के साथ गणित विषय होना अनिवार्य है। जिस वर्ग हेतु आवेदन किया गया है उसमें स्थानाभाव के कारण प्रवेश संभव न हो पाने की स्थिति में वैकल्पिक वर्ग हेतु उल्लेख करें। प्रवेश योग्यता क्रम से ही होंगे। प्रत्येक वर्ग की सीटों की संख्या में प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुरूप शैक्षिक परिवर्तन संभव है। परन्तु कुल सीटों की संख्या वही रहेगी।

वोकेशनल पाठ्यक्रम

(ब) बी0बी0ए0 त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम–उत्तराखण्ड सरकार एवं हे0नं0ब0ग0वि0 द्वारा मान्यता प्राप्त

उक्त पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष का शुल्क 13500.00 है। परीक्षा शुल्क वि0वि0 द्वारा अलग से लिया जायेगा। उपर्युक्त 13500.00 में 2000.00 प्रयोगात्मक एवं पुस्तकालय शुल्क है जो वापसी योग्य है।

सीटों की संख्या – 30 प्रवेश हेतु योग्यता – इण्टरमीडिएट (किसी भी विषय वर्ग के साथ)

(स) डिप्लोमा पाठ्यक्रम –

1– पत्रकारिता एवं जनसंचार(PGDJMC)– सीटों की संख्या – 30 2– इको टूरिज्म – सीटों की संख्या – 30

उपर्युक्त पाठ्यक्रम की योग्यता स्नातक (किसी भी विषय के साथ) है। उपर्युक्त पाठ्यक्रम भी उत्तराखण्ड सरकार एवं हे0नं0ब0ग0वि0 द्वारा मान्यता प्राप्त है। **ये पाठ्यक्रम एम0ए0, एम0एससी0 एवं एम0काम0 के साथ भी किये जा सकते है।**

इन दोनों पाठ्यक्रमों की प्रवेश नियमावली संबंधित विभाग से प्राप्त की जा सकेगी। स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र–छात्राएं उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी हेतु संबंधित विभाग में संपर्क करें। पाठ्यक्रम शुल्क रु0 3000/– है। परीक्षा शुल्क अलग से वि0वि0 द्वारा लिया जायेगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

(I) एम.एससी. में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी.एससी. परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 45% अंक होंगे। कला एवं वाणिज्य संकायों की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी.ए./बी. कॉम./बी.एससी. परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 40% अंक होंगे)। एस.सी./एस.टी. को प्रवेश अर्हता में 5% अंको की छूट होगी।

स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की सीटों का निर्धारण संबंधित संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा विभागाध्यक्ष की संस्तुति के बाद ही किया जायेगा।

(II) बी.एससी./बी.कॉम./बी.एड. में उत्तीर्ण छात्र किसी भी विषय से एम.ए. प्रथम वर्ष में (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

(III) प्रयोगात्मक विषयों में केवल उस विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसे छात्र ने बी.एससी. अथवा प्रयोगात्मक विषयों के साथ बी.ए. तृतीय वर्ष में मुख्य विषय के रूप में लिया हो।

(IV) अभ्यर्थियों की योग्यता सूची का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा –

(अ) सूचकांक = $\frac{\text{X एवं Y प्राप्तांकों का योग}}{\text{X एवं Y पूर्णांकों का योग}} \times 100$

(यहां 'X' = स्नातक परीक्षा के कुल प्राप्तांक

Y' = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों की लिखित (थ्योरी) के प्राप्तांकों का योग)।

(ब) अतिरिक्त अंकों की गणना निम्न प्रकार निर्धारित कर उसे सूचकांक (अ) में जोड़ दिया जायेगा।

(क) आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रवेश ले रहा हो, से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो 5 अंक एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्नातक को 3 अंक।

(ख) अन्तरविश्वविद्यालय/राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में वि0वि0 का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को 5 अंक तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने

वाले आवेदक को 7 अंक देय होंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर 2 अंक देय होगा।

(ग) एन.सी.सी 'बी' प्रमाण–पत्र धारक को एक अंक तथा 'सी' प्रमाण–पत्र धारक को 3 अंक देय होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण–पत्र धारकों को स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य पाठ्यक्रमों में अधिमान (वैटेज) अंक देय होंगे :

1)	240 घण्टे + एक विशेष शिविर वाले को	:	03 अंक	1)	'ए' प्रमाण पत्र धारक को	:	02 अंक
2)	240 घण्टे + दो विशेष शिविर वाले को	:	05 अंक	2)	'बी' प्रमाण पत्र धारक को	:	03 अंक
3)	राष्ट्रीय एकीकरण शिविर वाले को	:	03 अंक	3)	'सी' प्रमाण पत्र धारक को	:	05 अंक
4)	आर0डी0 परेड वाले को	:	03 अंक				

उपरोक्त वर्णित पैरा 'ख' व 'ग' श्रेणी में अधिकतम सात अंक ही देय होंगे।

(घ) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व अथवा कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री) को दो अतिरिक्त अंकों का लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जायेगा कि वे इस हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर देय होंगे।

(ङ) विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी) एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी) को उसी महाविद्यालय में जिसमें उनके माता/पिता, पति/पत्नी कार्यरत हों तो उन्हें 'दस' अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(V) दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा। गैप वर्ष के साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र तथा चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात् किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को 'गैप' नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भी स्नातक छः(6)वर्ष अथवा स्नातकोत्तर चार(4)वर्षों में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

(VI) उपर्युक्त 'ब' के अन्तर्गत अधिकतम देय वरीयता अंक 15 ही होंगे।

(VII) व्यक्तिगत परीक्षा के पश्चात् छात्र यदि बी0ए0/बी0काम0/एम0ए0/एम0काम0 II/III वर्ष में संस्थागत प्रवेश लेना चाहता है लेकिन प्रवेश सीट उपलब्धता के आधार पर ही देय होगा। उसे अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं।